न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 25/2024

दायर दिनांक 18.01.2024

निर्णय दिनांक 11.03.2024

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय नारू जाट, उम्र 33 वर्ष निवासी हरणी कलां, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा विपक्षी

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मुकेश धोबी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: **निर्णय** :–

दिनांक 11.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ग्राम हरणीकला पटवार हल्का हरणीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 931, जिसके हाल नम्बर 658, 888, 914,, 915 931 कुल किता 05 कुल रकबा 0.9231 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के स्व0 पिता नारू उर्फ शंकर जाट की मृत्यु होने के बाद प्रार्थी के पिता का नाम शंकर दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नारू जाट है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में, स्वयं का शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थी के पिता का राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम शंकर जाट की बजाय नारू उर्फ शंकर जाट दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 658, 888, 914,, 915 931 कुल किता 05 कुल रकबा 0.9231 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में श्री ओमप्रकाश पुत्र शंकर जाट सा0 देह0 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी ओमप्रकाश के पिता का नाम शंकर जाट के बजाय ओमप्रकाश पुत्र नारू उर्फ शंकर जाट परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का हरणीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ज्ञ तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– क्रमश: 658, 888, 914,, 915 931 कुल किता 05 कुल रकबा 0.9231 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित ओमप्रकाश पुत्र शंकर जाट के बजाय ओमप्रकाश पुत्र नारू उर्फ शंकर जाट नाम परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आल्हाद निधि सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा